05.08.2025

वकुलाय पक्षकारान उपस्थित।

बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी पुजारी सुरेश द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि वाद हाजा से संबंधित भूमि को भुमि के स्वामी के द्वारा मन्दिर तेजाजी महाराज खरनाल को दान कर उसका दस्तावेज विधिवत रूप से निष्पादित कर पंजियन करवा दिया है तथा मौके पर कब्जा तथा हक प्रसिद्ध तेजाजी मन्दिर जरिये पुजारी रहता चला आ रहा है जिसकी जानकारी वादी को भली–भांति होते हुये भी जानबूझकर मूल वाद तथा संशोधित वाद में मन्दिर तेजाजी, खरनाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः न्यायहित में हस्तगत प्रकरण में मन्दिर तेजाजी, वाके खरनाल तहसील मूण्डवा जरिये पुजारी सुरेश पुत्र कालुराम को बतौर प्रतिवादी पक्षकार दर्ज कर सुनवाई का अवसर प्रदान करे।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र तथा बहस प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि वादग्रस्त सम्पति में वादिनी ने अपने हिस्से की सम्पति आवेदन कर्ता को कभी भी दान नहीं की इसलिये आवेदनकर्ता का कब्जा, स्वामित्व होने का प्रश्न नहीं उठता। प्रार्थी हस्तगत प्रकरण में न तो आवश्यक पक्षकार है ना ही प्रोपर पक्षकार है। वादिनी द्वारा हस्तगत वाद अपने हक–हिस्से का विभाजन कराने हेतु प्रस्तुत किया है। वाद के लम्बित रहते हुये प्रतितवादीगण द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के यदि कोई अन्तरण किया है तो वह अवैध एवं शून्य है। अधिवक्ता वादी द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि दान की जानकारी होने पर वादी ने आवेदनकर्ता के विरूद्ध पृथक से वाद पेश किये जो इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय है तथा इस न्यायालय द्वारा उनमें इस वाद के निर्णित होने तक उन वादों में सुनवाई स्थगित करने का आदेश पारित कर रखा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित दानपात्र प्रारंभ से ही शून्य

अकृत है। वादिया द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है तथा वादी की इच्छा के विरूद्ध उसे किसी पक्षकार से लड़ने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि हस्तगत मूल वाद वादिया रामा देवी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वास्ते विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तेजाजी खरनाल मन्दिर के संबंध में वादिया द्वारा इस न्यायालय के समक्ष पृथक से दावे प्रस्तुत कर रखे हैं जो इस न्यायालय द्वारा पूर्व में किये गये आदेश के अनुसार हस्तगत प्रकरण के निस्तारण तक रोके गये हैं। न्यायालय का यह भी विनम्र मत है कि हस्तगत वाद वादिया विभाजन हेतु लेकर आई है तथा वादिया द्वारा प्रार्थी अथवा मन्दिर के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

इसी स्तर अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 32 नियम 8 व 9 सपठित धारा 151 सीपीसी पर भी बहस करनी चाही। दौराने बहस अधिवक्ता प्राथी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि हस्तगत वाद वादी द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये नाबालिग मूर्ति के विरूद्ध पेश किया गया है। वादी का वाद हेतुक मूर्ति के विरूद्ध ही नहीं है बल्कि मूर्ति के करोड़ों अनुयायियों के विरूद्ध पैदा होते हुये भी बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, न्यायालय से आदेश 32 सीपीसी के तहत आवेदन पेश किये बिना तथा बिना ईजाजत के पेश किया गया। अतः वाद की परिस्थितियों में मूर्ति की ओर से पुजारी को संरक्षक नियुक्त कर वाद पेश किया गया एवं पुजारी की ओर से प्रार्थी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 को अधिवक्ता नियुक्त कर रखा है। प्रतिवादी

संख्या 1 पुजारी लम्बे समय से अधिवक्ता प्रार्थी से सम्पर्क में नहीं है तथा मूर्ति की सेवा पूजा से पृथक हो चुका है तथा पुजारी जहां उपस्थिति होनी चाहिए थी वहां नहीं देखा गया है तथा मन्दिर की पूजा के लिये अन्य पुजारी की व्यवस्था की गई है। विधि अनुसार नाबालिग मूर्ति की रक्षा के लिये नेक्स्ट फ्रेंड को नाबालिग प्रतिवादी मूर्ति की ओर से संरक्षक नियुक्त कर वाद पेश करने की ईजाजत के साथ आदेश 32 दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के तहत बाद का निर्णय किये जाने का प्रावधान है। अतः न्यायहित में वादी द्वारा नियुक्त प्रतिवादी मूर्ति तेजाजी के पुजारी को संरक्षक के कर्तव्य से रिटायर करने की आज्ञा दी जाकर प्रतिवादी संख्या 1 नाबालिग मूर्ति के न्यायालय संरक्षक नियुक्त करने की आज्ञा दी जावे।

अधिवक्ता वादिया द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र तथा बहस प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह कथन किया कि मनोहर दास ही वर्तमान में पुजारी है तथा मनोहर दास द्वारा कभी यह नहीं कहा कि वह संरक्षक के पद से मुक्त होना चाहता है। प्रतिवादी को नया वादमित्र या नेक्स्ट फ्रेंड नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 पूर्व पुजारी मनोहर दास के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा मूर्ति की तरफ से पैरवी के लिये संरक्षक नियुक्त किये जाने का निवेदन किया है। उक्त के संबंध में न्यायालय का यह विनम्र मत है कि हस्तगत वाद में मन्दिर तेजाजी महाराज पक्षकार ही नहीं है ना ही वादिया द्वारा मन्दिर तेजाजी महाराज के विरूद्ध हस्तगत वाद में कोई अनुतोष चाहा है। हस्तगत वाद वादिया रामा देवी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध पैतृक सम्पति के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में मन्दिर तेजाजी ना तो पक्षकार है ना ही उनके विरूद्ध कोई अनुतोष चाहा है। ऐसी स्थिति में मन्दिर की तरफ से संरक्षक नियुक्त किये जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। पत्रावली टारगेट पत्रावली है तथा बार–बार

अनावश्यक रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से प्रकरण में विलम्ब कारित हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा टारगेटेड प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष निर्देश प्रदान किये गये हैं। अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 500/– रूपये कॉस्ट पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादिया हेतु दिनांक ..... को पेश हों।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 02,
नागौर।